विधानसभा / महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 112 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01 / 07 / 2025

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

2. **प्रबंध संचालक,**
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी (अपेक्स) बैंक, मुख्यालय,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

3. **पंजीयक सहकारी संस्थाएं,**
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
छत्तीसगढ़

4. **कलेक्टर,**
जिला – रायगढ़,
छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 505 अतारांकित द्वारा श्री उमेश पटेल, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

–000–

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक **505 अतारांकित** की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर **'यूनिकोड फॉन्ट'** में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 03 / 07 / 2025** तक ई–मेल (**dirfood.cg@gov.in**) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण

पृ0 क्रमांक 113 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01 / 07 / 2025

प्रतिलिपि :–

खाद्य अधिकारी, जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर, आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **11/07/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/07/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **धान खरीदी केंद्रों के कमीशन एवं प्रासंगिक व्यय राशि**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **505**) **श्रीउमेश पटेल**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) रायगढ़ जिलान्तर्गत धान खरीदी केंद्रों को दी जाने वाली कमीशन राशि एवं प्रासंगिक व्यय राशि देने की नियमावली क्या है? यह राशि कितनी दी जाती है? समितिवार जानकारी देवें। उक्त दोनों राशि को खर्च करने का मापदंड क्या है? कौन-कौन से मद में कितना खर्च किया जाता है? जानकारी देवें। (ख) क्या धान खरीदी केंद्रों के कमीशन एवं प्रासंगिक व्यय राशि की उपयोगिता का विभाग द्वारा अंकेक्षण किया जाता है ? यदि हाँ, तो कब जानकारी दें। क्या रायगढ़ जिला में समितियों में व्यय की गई उक्त दोनों मद के राशियों में अनियमितता का मामला प्राप्त हुआ है ? जानकारी देवें।

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 01/07/2025 11:26:01 |

Remark :

कलेक्टर रायगढ़
मार्कफेड, अपेक्स
सहकारिता